दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

(99)

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प- भोपाल म0प्र0

पुनरीक्षण क्रं. R-2154-PBR/14

01. मलखान सिंह जाट पुत्र श्री हिम्मत सिंह जाट,
आयु 62 वर्ष, निवासीः- ग्राम कोटरा चोपड़ा,
तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म0प्र0)

02. पुरुषोत्तम सिंह पुत्र श्री हरीराम,
आयु लगभग 38 वर्ष, निवासीः- ग्राम रतनपुर,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म0प्र0) --- निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

01. लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री बालमुकुन्द, आयु वयस्क,
जाति देशवाली, निवासीः- ग्राम परेबाखेड़ा,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म0प्र0)

02. मोहम्मद अलताफ पुत्र श्री मोहम्मद मुस्तुफा,
आयु वयस्क, निवासीः- म.नं. 143 अशोक कालोनी,
रॉयल मार्केट भोपाल (म0प्र0) --- उत्तरदातागण

श्री टी-पी-विश्वकर्मा अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 1-7-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 1-7-14

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

निगरानीकर्तागण राजस्व निरीक्षक मण्डल ईटखेड़ी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के प्रकरण क्रं. 13/अ-12/13-14 (लक्ष्मी नारायण विरुद्ध सर्व साधारण) में तथाकथित खसरा क्रं. 59/2/3 के क्षेत्रफल 0.060 हेक्टेयर के संबंध में सीमांकन बावत् की गयी संपूर्ण कार्यवाहियों सहित आदेश दिनांक 04/04/04 एवं 10/04/14, इन आदेशों की सर्व प्रथम जानकारी निगरानीकर्तागण को आदेशों की सत्यप्रतिलिपियाँ दिनांक 09/05/14 को प्राप्त किये जाने पर विदित हुयी है से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते हैं :-

17-7-14

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

अ. प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण और उनके अन्य सहखातेदारों श्रीमती कवीता एस0 जुनेजा एवं राजेन्दर सिंह की भूमि खसरा क्रं. 61/1 रकबा 0.075 हेक्टेयर के साथ-साथ श्रीमती सीमा कोल और राजेन्दर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2154-PBR/14 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल-1 ईटखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-04-2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल-1 ईटखेड़ी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 15-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	